भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1180

उत्तर देने की तारीख-27/07/2026

पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

† 1180. **श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोरों के कुपोषण को दूर करने, आहार विविधता और भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों, फलों और सब्जियों का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने में पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पीएम पोषण योजना के अंतर्गत वर्तमान प्रति-बच्चा भोजन पकाने की लागत और बजटीय आवंटन निर्धारित पोषण मानकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान पोषण संबंधी मानकों, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मेनू (व्यंजन सूची) के नियमों के अनुपालन के लिए निरीक्षण किए गए स्कूलों की संख्या कितनी है तथा इसमें क्या उल्लंघन पाए गए और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का पीएम पोषण योजना के अंतर्गत वित्तीय मानकों में संशोधन करने, निगरानी को सुदृढ़ करने और फलों, सब्जियों तथा प्रोटीन युक्त वस्तुओं सहित पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का भाग है तथा अधिकांश सरकारी स्कूल और स्कूल बोर्ड राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन आते हैं। पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई है। बाल वाटिका (कक्षा 1 से ठीक

पहले) तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से VIII तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

सामग्री लागत में दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेलों, मसालों, ईंधन आदि पर व्यय शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा सामग्री की लागत को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री की लागत बढ़ाने के पीछे का तर्क सामग्री की लागत में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना है। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, योजना के तहत दिनांक 01.05.2025 से बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए 'सामग्री लागत' को 9.50 प्रतिशत बढ़ाकर 6.78 रुपये प्रति छात्र प्रति दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 10.17 रुपये प्रति छात्र प्रति दिन कर दिया गया है।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2 प्रतिशत स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना अपेक्षित है। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा की संख्या **अनुलग्नक**-I में दी गई है।

पीएम पोषण योजना के प्रभाव के संबंध में, नीति आयोग ने वर्ष 2025-26 में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से योजना का मूल्यांकन किया है। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि पीएम पोषण योजना का बाल पोषण में सुधार और अधिगम परिणामों को बढ़ावा देने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(घ): पीएम पोषण योजना के तहत, सभी पात्र बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों पर गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंड इस प्रकार हैं:

मदें	प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए	उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए
क) पोषण संबंधी मानदंड (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
कैलोरी	450	700
प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख) खाद्य मानदंडों की मात्रा (प्रति बच्चा प्रति दिन)		
खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र, अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसई एंड एल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टीयरिंग-सह-निगरानी समिति भी प्रदान करती है। पीएम पोषण दिशा-निर्देशों में योजना की तिमाही आधार पर निगरानी हेतु जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का प्रावधान किया गया है।

स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं, ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी), अभिभावक-शिक्षक संघों (पीटीए) और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के सदस्य बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की नियमितता और गुणवत्ता, खाना पकाने और परोसने में स्वच्छता, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री, ईंधन आदि की खरीद में समयबद्धता, मेनू में विविधता के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं ताकि इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाया जा सके तथा दैनिक आधार पर सामाजिक और जेंडर समानता सुनिश्चित की जा सके।

केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in. पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 से पीएम पोषण योजना के तहत निधियां जारी करने के लिए एसएनए-स्पर्श शुरू किया गया है। यह प्रणाली निधियां जारी करने के लिए प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे योजना के तहत वित्तीय प्रबंधन में वृद्धि होती है।

*****

अनुलग्नक -I

माननीय संसद सदस्य श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा 'पीएम पोषण योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन' के संबंध में दिनांक 27/07/2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1180 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा की कुल संख्या (2021-22 to 2025-26)
1	आंध्र प्रदेश	2382
2	अरुणाचल प्रदेश	1857
3	असम	4253
4	बिहार	2724
5	छत्तीसगढ	89207
6	गोवा	173
7	गुजरात	20537
8	हरियाणा	438
9	हिमाचल प्रदेश	1496
10	झारखंड	10374
11	कर्नाटक	3597
12	केरल	1346
13	मध्य प्रदेश	101150
14	महाराष्ट्र	8603
15	मणिपुर	265
16	मेघालय	2514
17	मिजोरम	600
18	नागालैंड	206
19	ओडिशा	2880
20	पंजाब	1468
21	राजस्थान	4915
22	सिक्किम	361
23	तमिलनाडु	1916
24	तेलंगाना	2077

25	त्रिपुरा	800
26	उत्तर प्रदेश	7176
27	उत्तराखंड	1167
28	पश्चिम बंगाल	16765
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	129
30	चंडीगढ़	113
31	डी एंड एन और डी एंड दीव	372
32	दिल्ली	1327
33	जम्मू एवं कश्मीर	37354
34	लद्दाख	1068
35	लक्षद्वीप	24
36	पुदुचेरी	586